बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

रिश्तों की जमापूंजी

स्टार हाउस.सी-5."जी" ब्लॉक,बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051

विशेषज्ञ अधिकारी भर्ती परियोजना 2011-12/2

सूचना दिनांक 25.04.2011

बैंक ऑफ़ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, विभिन्न संवर्ग/वेतनमान में निम्नानुसार विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है

चालान प्राप्त करने के लिए पृष्ठ 17 पर "प्रिंट चालान" बटन पर क्लिक करें और शुल्क भुगतान करने के बाद (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के अलावा) नोटिस के पृष्ठ 17 के अंत में उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र के लिए "एप्लाय ऑनलाइन" पर क्लिक करें।

चालान उपलब्धता शुरु होने की तारीख	02.05.2011
ऑन लाइन आवेदन- प्रस्तुतीकरण आरंभ होने की तारीख	
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	21.05.2011
आवेदन शुल्क का भुगतान (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के अलावा)	02.05.2011 से 21.05.2011
लिखित परीक्षा की संभावित तारीख (यदि आवश्यक है)	03.07.2011
आयु/अर्हता/अनुभव की संबंधित तारीख	31.03.2011

पद का नाम/रिक्तियां :

पद कूटसं	पद का नाम	वेतन मान	रिक्तियों की संख्या								31.03.2011 को आयु	
			एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	कुल	पीडब्ल्यूडी वीसी	एचआई	ओसी	न्यूनतम	अधिकतम
01	समप्र - विपणन	V	-	-	-	1	01				25	45
02	समप्र – नकदी प्रबंधन सेवाएं	V	-	-	-	1	01				25	45
03	वित्त कार्यपालक	III	2	-	2	5	09				25	40
04	सुरक्षा अधिकारी	II	1	1	4	3	09				21	40
05	सांख्यिकीविद	II	1	-	-	-	01				21	28
06	विधि अधिकारी	II	2	3	3	5	13				21	30
07	सनदी लेखाकार	II	31	14	53	102	200			2	21	35
08	प्रणाली लेखा परीक्षक	II	-	1	2	2	05				21	35
09	वित्त कार्यपालक	II	5	1	6	8	20				25	35
10	सुरक्षा परामर्शदाता	@	-	-	-	1	01				-	55
11	सू.प्रौ.अधिकारी	I	9	4	15	28	56			1	21	30
12	सू.प्रौ.अधिकारी	II	2	1	5	7	15				21	35
13	तकनीकी अधिकारी (मूल्यांकन)	I	3	1	6	10	20				21	30
14	तकनीकी अधिकारी (मूल्यांकन)	II	6	4	8	18	36				21	35
15	मासं/औसं अधिकारी	II	6	4	12	21	43			1	21	35
16	राजभाषा अधिकारी	II	2	1	2	2	07				21	35
17	कृषि अधिकारी	I	77	35	137	251	500				21	30
	कुल		148	73	252	464	937			4		

नोट : उपर्युक्त रिक्तियों में पिछले वर्ष में दिए गए विज्ञापन की रिक्तियां बची हुई भी शामिल हैं।

ⓓ अनुबंध आधार पर 2 वर्षों की प्रारंभिक अवधि हेतु, संतोषजनक सेवा पर बैंक के विवेकानुसार विस्तार किया जा सकता है।

कृपया नोट करें कि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकता है और एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर उसके पिछले आवेदन को रद्द करने का अधिकार बैंक को होगा। लिखित परीक्षा उसी दिन उसी समय पर आयोजित होगी।

विकलांगता युक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) जिनके लिए आरक्षण घोषित नहीं किया गया है, सहित आरक्षित प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थी गैर-आरक्षित प्रवर्ग हेतु घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, उन्हें गैर-आरक्षित प्रवर्ग की सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा।

संक्षेपाक्षर एवं परिभाषा :

i) <u>व्यक्तियों का प्रवर्ग</u> :-

जीईएन (युआर) - सामान्य (अनारक्षित)
एससी - अनुसूचित जाति,
एसटी - अनुसूचित जनजाति,
ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग,
एक्सएसएम - भूतपूर्व सैनिक
पीडब्ल्यूडी - विकलांगता वाले व्यक्ति वे हैं
ओसी - विकलांग
एचआई - बहरापण
वीसी - दृष्टि की असमर्थता (अंध/अंशत: अंध/कम दृष्टि)

ii) <u>विकलांग/(ओसी)</u>

विकलांग (ओसी) से तात्पर्य वह व्यक्ति है, जिसमें 40% शारीरिक दोष या विकृति है, जिसके कारण हड्डियों, मांसपेशियों तथा जोड़ों के सामान्य कार्यों में बाधा आती है और ऐसा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।

iii) <u>दृष्टि की असमर्थता (वीसी)</u>

(क) दृष्टिहीनता का संबंध उस व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक से पीड़ित होते हैं:

(i) पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता,

(ii) सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर नेत्रों में दृष्टि की स्पष्टता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से ज्यादा न हो। दृष्टि की क्षेत्र सीमा 20 अंश का कोण बनाती हुई या इससे खराब हो और ऐसा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड से प्रमाणित किया गया हो।

(ख) कम दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके मानक अपवर्तक सुधार के इलाज के बाद भी दृष्टि कार्य में कमी बनी रहती है, किंतु जो उचित सहायक साधन के साथ कार्य की योजना या उसके निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने हेतु पर्याप्त रुप से सक्षम है।

(iv) **<u>बहरापन एवं श्रवण शक्ति की असमर्थता (एचआई):</u>**

(क) बहरे व्यक्ति वे हैं जिनमें जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए सुनने की संवेदनशीलता अकार्यक्षम है अर्थात दोनों कानों से सुनने की क्षमता पूरी तरह खो देना। वह आवाज को बिल्कुल सुन और समझ नहीं पाते हैं यहां तक कि एम्पलीफाइड स्पीच भी उन्हें सुनाई नहीं देता है।

(ख) श्रवण शक्ति की असमर्थता का अर्थ है, बेहतर कान आवृत्ति की संवादात्मक रेंज में 60 डेसीबल की हानि।

II मूल वेतन नियमानुसार तथा अन्य भत्ते एवं पारिलब्धिया जो लागू है (रुपयों में)

वर्तमान मूलवेतन (रुपयों में) (संशोधन शीघ्र अपेक्षित है)

क.प्र.श्रेणी वेतनमान I : 14500-600/7 -18700-700/2 - 20100-800/7 - 25700

म.प्र.श्रेणी वेतनमान II : 19400-700/1- 20100-800/10 - 28100

म.प्र. श्रेणी वेतनमान III : 25700-800/5 - 29700-900/2- 31500

व.प्र. श्रेणी वेतनमान IV : 30600-900/4 - 34200-1000/2 - 36200

व.प्र. श्रेणी वेतनमान V : 36200-1000/2 -38200-1100/2- 40400

(उपर्युक्त मूल वेतन का वेतनमान बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी सेवा विनियम 1979 के उचित उपबंधों में संशोधन के अध्यधीन है)

पदनाम/पद के नाम केवल संकेतात्मक हैं। कभी भी बिना सूचना के पदनाम/पद का नाम बदलने का बैंक का अधिकार सुरक्षित है।

1. उच्च आयु सीमा में छूट: (अनुबंध आधार पर लिए जानेवाली प्रस्तावित अभ्यर्थियों को छोड़कर)

ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष

iii) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष

iv) इमरजेंसी कमीशंड अधिकारी (ईसीओ)/शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशंड अधिकारी के मामले में जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष तक मिलीटरी सर्विस में काम किया है एवं जिन्हें कार्यदायित्व के पूरा होने के बाद कार्यमुक्त किया गया है (ऐसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से जिनका कार्यदायित्व अगले एक वर्ष में पूरा होने को है उन्हें शामिल करते हुए) निलंबित अथवा कदाचार अथवा कार्य-अक्षमता के कारण पदच्युत अथवा मिलीटरी सर्विस को करने में शारीरिक रूप से विकलांग होने पर अथवा अवैधता को छोड़कर 5 वर्ष, सरकार के दिशानिर्देशों के अध्यधीन।

v) सभी व्यक्तियों के लिए जो 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर सम्भाग के सामान्यत:अधिवासी हो गए हो-5वर्ष

vi) उच्च आयु सीमा में छूट सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ।

नोट: क) एक भूतपूर्व सैनिक जिसने एक बार नागरिक श्रेणी में अपने पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक हेतु उपलब्ध लाभों का उपयोग कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, सरकार में फिर से रोजगार प्राप्ति के लिए उसकी हैसियत भूतपूर्व सैनिक की नहीं रहेगी !

ख) उक्त (iv) के अनुसार आयु में छूट के पात्र सभी व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट जिनके कार्यक्षेत्र में वह सामान्यत: रहता/रहती है अथवा जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए पदनामित अन्य प्राधिकारी से इस आशय का अधिवासी प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा कि अभ्यर्थी 1 जनवरी 1980 से दिसंबर 1989 के 31 वें दिन तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में सामान्य रूप से अधिवासी रहा है।

2. **पात्रता मानदंड**

राष्ट्रीयता/नागरिकता :

अभ्यर्थी i) भारत का नागरिक हो अथवा ii) नेपाल की प्रजा हो अथवा iii) भूटान की प्रजा हो अथवा iv) तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी 1962 से पहले स्थायी रूप से बसने की इच्छा से भारत आया हो अथवा v) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो पाकिस्तान, बर्मा (म्यांमार), श्रीलंका, पूर्वी अफ्रिका देशों जैसे केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(पूर्व तंगानियका एवं जंजीबार)

जांबिया मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया हो। उक्त श्रेणी (ii)(iii) (iv) और (v) से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र अनिवार्य है उन्हें बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा /साक्षात्कार में बैठने की अनुमति होगी। किन्तु अंतिम चयन पर नियुक्ति प्रस्ताव तभी दिया जाएगा जबकि भारत सरकार द्वारा उन्हें अनिवार्य पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदत्त कर दिया गया हो।

3. **पदवार – रिक्तियां/शैक्षणिक योग्यता/अनुभव:**

पद कूट क्र. 01 - सहायक महाप्रबंधक – विपणन : (**वेतनमान** V)		
रिक्तियां	:	**1**
शैक्षणिक योग्यता	:	यूजीसी मान्यतापात्र विश्वविद्यालय/एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान से विपणन में विशेषज्ञता सहित एमबीए।
अनुभव	:	विपणन में न्यूनतम 10 वर्ष, विशेषतया वित्तीय उत्पाद जैसे बीमा, म्युचुअल फंड, जमाराशियां, सरकारी कारोबार, ऋण आदि जिसमें से कम से कम 3 वर्ष विपणन टीम के प्रधान का अनुभव। **बैंकिंग उत्पादों के विपणन के अनुभव अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।**
कार्य की रूपरेखा	:	क) समय-समय से विभिन्न उत्पादों के लिए बैंक की बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्यनीतियों का विकास; ख)बैंकिंग उत्पादों के लिए निरंतर बाज़ार का अध्ययन, नए उत्पादों का आरंभ तथा विकास का सुझाव; ग)विपणन ढांचे के प्रभावशीलता के विकास के लिए अंचलों/विपणन टीम को दिशानिर्देश तथा उनके कार्यनिष्पादन की निगरानी; घ) ग्राहक आधार की वृद्धि के लिए विभिन्न क्रियाशील विभागों में कार्यनीतियां विकसित करने के लिए सहयोग; ड.)विपणन तथा साथ ही साथ बिक्री पहल, अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी आदि के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता।
पद कूट क्र. 02 सहायक महाप्रबंधक – नकदी प्रबंधन सेवाएं : (**वेतनमान** V)		
रिक्तियां	:	**1**
शैक्षणिक योग्यता	:	विज्ञान/वाणिज्यिक/इंजीनियरिंग में स्नातक/स्नातकोत्तर। मान्यता प्राप्त एआईसीटीई अनुमोदित संस्था/यूजीसी अनुमोदित विश्वविद्यालय से विपणन तथा वित्त में दोहरी विशेषज्ञता अथवा वाणिज्य में एमबीए/पीजीडीबीएम को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव	:	बैंक/वित्तीय संस्था में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव जिसमें से नकदी प्रबंधन सेवाओं के विपणन/प्रबंधन का न्यूनतम 5 वर्षों

		का अनुभव हो। अच्छा ज्ञान रखनेवाले/आईटी में अनुभव/आईटी से संबंधित सेवाएं/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के किसी बैंक में नकदी प्रबंधन सेवाओं का अनुभव।
कार्य की रूपरेखा :	:	बैंक के नकदी प्रबंधन सेवाएं पोर्टफोलियो को विकसित करने के लिए कार्यनीतियों का निरूपण, विकसित नकदी प्रवाह तथा द्रुत उगाही आदि के लिए संबंधित एमआईएस/परिचालन प्रणाली को रूचि के अनुसार बनाना।
पद कूट क्र. 03 वित्त एक्जेक्युटिव (वेतनमान III)		
रिक्तियां	:	**9**
शैक्षणिक योग्यता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई / एमबीए/ पीजीडीबीएम (वित्त) **ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एमबीए(वित्त)/सीए/आईसीडब्ल्यूए जैसी अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता है।**
अनुभव	:	परियोजना मूल्यांकन/वित्तपोषण और/या ऋण का समूहन के क्षेत्र में अधिकारी/बैंक में एक्जेक्युटिव/वित्तीय संस्थान का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव।
पद कूट क्र. 04 - सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान II)		
रिक्तियां	:	**9**
शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव		सेना/नेवी/वायुसेना में एक अधिकारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों की कमीशन सेवा अथवा न्यूनतम 5 वर्षों का सहायक पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक के पद का अनुभव अथवा पारा-मिलिट्री फोर्स में समरूपी पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव।
पद कूट क्र.: 05 सांख्यिकीविद् (वेतनमान II)		
रिक्तियां	:	**1**
शैक्षणिक योग्यता	:	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/अन्य प्रतिष्ठित संस्थान जैसे इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता से पूर्णावधि नियमित विद्यार्थी के रूप में न्यूनतम 60% अंकों सहित स्टेस्टिक्स में मास्टर डिग्री।
अनुभव	:	अधिकारी संवर्ग में सांख्यिकिविद् के रूप में/वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या सरकारी संस्थान अथवा निजी क्षेत्र में स्टेटिस्टिकल अधिकारी का 3 वर्ष का अनुभव/अभ्यर्थी को बड़े परिमाण पर आंकड़ों के संचलन का प्रचुर अनुभव, सांख्यिकीय तकनीक तथा उपकरणों का अनुप्रयोग, आंकड़ों के चलन से अनुमान लगाना, पूर्वानुमान, प्रतिमान, अंशशोधन तथा प्रभावीकरण आदि विभिन्न सांख्यिकीय पैकेज जैसे एसएएस/एसपीएसएस/एमएटीएलएबी आदि का ज्ञान आवश्यक है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थान में जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में

		अनुभव। बैंक के पोर्टफोलियो का विश्लेषण तथा विश्लेषण पर आधारित विभिन्न रिपोर्टों का शीर्ष प्रबंधन को प्रेषण एक अतिरिक्त योग्यता होगी।
पद कूट क्र. 06 विधि अधिकारी (वेतनमान II)		
रिक्तियां	:	**13**
शैक्षणिक योग्यता	:	मान्यतापात्र विश्वविद्यालय से, नियमित पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कुल न्यूनतम 60% अंकों सहित विधि में स्नातक डिग्री तथा किसी राज्य के बार काउंसिल में वकील के रूप में जुड़ा होना। विधि में स्नातकोत्तर अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव	:	अभ्यर्थी के पास 5 वर्षों की न्यूनतम अवधि का सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट में एडवोकेट के रुप में सक्रिय वकालत का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों/बृहद वाणिज्यिक बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में विधि अधिकारी के रुप में कार्य कर रहे अभ्यर्थी भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते है। बशर्ते कि उन्होंने 5 वर्षों की न्यूनतम अवधि में एडवोकेट के रुप में वकालत की हो।
पद कुट संख्या 7 सनदी लेखाकार (श्रेणी II) वित्त कार्यपालक		
रिक्तियां	:	**200**
योग्यता	:	**सनदी लेखाकार के रुप में डिग्री**
पद कूट संख्या: 08 प्रणाली लेखापरीक्षक (श्रेणी II)		
रिक्तियां	:	**5**
योग्यता	:	(1) यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्यार्थी के रुप में पूर्णकालिक सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर इंजीनियरिंग /इलैक्ट्रानिक्स में इंजीनियरिंग स्नातक तथा सीआईएसए (प्रमाणिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा) योग्यता प्राप्त **<u>अथवा</u>** (2) एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नात्तकोत्तर डिग्री तथा सीआईएसए **(**प्रमाणिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा**)** योग्यता प्राप्त ।
अनुभव	:	प्रणाली लेखा परीक्षक के रुप में डाटा केंद्र लेखा परीक्षा, नेटवर्क सुरक्षा लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा इत्यादि 3 वर्षों का अनुभव तथा आईटी अधिनियम, विनियामकों के प्रासंगिक परिपत्र, विंडोज, यूनिक्स, आरेकल जैसी ऑपरेटिंग प्रणाली से परिचित।
पद कूट संख्या 09 : वित्त अधिकारी (श्रेणी II):		
रिक्तियां	:	**20**

योग्यता	:	एआईसीटीई अनुमोदित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स, रसायन जैसे विषयों में इंजीनियरिंग स्नातक/स्नातकोत्तर। **ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एमबीए(वित्त)/सीए/आईसीडब्ल्यूए जैसी अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता है।**
अनुभव	:	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के औद्योगिक परियोजना के ऋण मूल्यांकन के क्षेत्र में 3 वर्षों का न्यूनतम अनुभव
पद कूट संख्या 10 - सुरक्षा सलाहकार : ***(अनुबंध आधार पर)***		
रिक्तियां	:	1
योग्यता एवं अनुभव	:	आर्मी/नेवी/एयरफोर्स में ब्रिगेडियर अथवा ऊपर की श्रेणी का अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो अथवा अर्ध-सैनिक बल में 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा में समान श्रेणी का अधिकारी **एनएसजी में न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि का प्रतिनियुक्ति/ नियमित आधार पर सेवा/कार्य करने वाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।**
वेतन पैकेज	:	लगभग `10 लाख सीटीसी
पद कूट संख्या 11 आईटी अधिकारी (श्रेणी-I)		
रिक्तियां:	:	**56**
योग्यता	:	1)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था से पूर्णकालिक नियमित विद्यार्थी के रुप में कुल न्यूनतम 55% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान/इलैक्ट्रोनिक्स तथा दूरसंचार की इंजीनियरिंग में स्नात्तकोत्तर डिग्री अथवा एमसीए अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान में बी.एससी/बीसीए **अथवा** 2)सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डीओईएसीसी सोसायटी अर्थात इसके समतर परीक्षा में 'ए' स्तर की योग्यता प्राप्त कोई भी स्नातक।
पद कूट संख्या 12 आईटी अधिकारी (श्रेणी-II)		
रिक्तियां:	:	**15**
योग्यता	:	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था से पूर्णकालिक नियमित विद्यार्थी के रुप में कुल न्यूनतम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान/इलैक्ट्रोनिक्स तथा दूरसंचार की इंजीनियरिंग में स्नात्तकोत्तर डिग्री अथवा एमसीए **अथवा** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डीओईएसीसी सोसायटी अर्थात इसके समतर परीक्षा में 'ए' स्तर की योग्यता

		प्राप्त कोई भी स्नातक।
अनुभव	:	1) साफ्टवेयर इंजीनियर/डाटा बेस प्रबंधक के रुप में मुख्यत: आईटी संस्थाओं/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में 2 वर्षों का अनुभव। **अथवा** 2) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ आईटी/कंप्यूटर अधिकारी के रुप में 3 वर्षों का अनुभव।
पद कूट संख्या 13 तकनीकी अधिकारी (मूल्यांकन) (श्रेणी-I)		
रिक्तियां:	:	**20**
शैक्षणिक : योग्यता		वस्त्र, रसायन, यांत्रिक, विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन, कंप्यूटर विज्ञान, धातु विज्ञान, बी.फार्म. जैसे विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री। किसी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए वांछनीय है।
पद कूट संख्या 14 तकनीकी अधिकारी (मूल्यांकन) (श्रेणी-II)		
<u>रिक्तियां:</u>	:	**36**
शैक्षणिक : योग्यता	:	वस्त्र, रसायन, यांत्रिक, विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन, कंप्यूटर विज्ञान, धातु विज्ञान, बी.फार्म. जैसे विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री। किसी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए वांछनीय है।
अनुभव	:	बैंक/वित्तीय संस्था में अथवा/तथा उद्योग में अनुभव सहित 3 वर्षों का अनुभव
पद कूट संख्या 15 मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध अधिकारी (श्रेणी II)		
<u>रिक्तियां</u>:	:	**43**
शैक्षणिक योग्यता	:	यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक के साथ स्नातक डिग्री और पूर्णकालिक एमबीए (मासं/कार्मिक प्रबंधन)/एमएसडब्ल्यू अथवा यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अन्य प्रसिद्ध संस्थान से मासं/कार्मिक प्रबंधन/आईआर/श्रम कानून में विशेषता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (नियमित पाठ्यक्रम से) विधि की डिग्री वांछनीय है।
अनुभव	:	अर्हता प्राप्त करने के बाद एचआर/आईआर क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव अधिमान्यत: किसी निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान/सरकारी संगठन/सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त।
पद कूट क्र. 16 राजभाषा अधिकारी (वेतनमान II)		
रिक्तियां	:	**7**

शैक्षणिक योग्यता	:	यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ हिंदी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो। अथवा 50% अंक के साथ संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री तथा यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर में हिंदी तथा अंग्रेजी विषय रहा हो। अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ हिंदी माध्यम से एमए – अर्थशास्त्र अथवा हिंदी माध्यम से एमकॉम तथा स्नातक स्तर में हिंदी और अंग्रेजी विषय रहा हो। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 01 वर्ष का हिंदी पत्रकारिता/अनुवाद में डिप्लोमा करने वाले को तरजीह दी जाएगी।
पद कूट क्र. 17 कृषि अधिकारी (वेतनमान I)		
रिक्तियां	:	**500**
शैक्षणिक योग्यता	:	कृषि/उद्यान विज्ञान/पशु-पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेरी विज्ञान/कृषि अभियांत्रिकी/मत्स्यपालन/कृषि-विपणन, वनविद्या में कुल योग कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री (तीन वर्ष का पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रम) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10,000 में से 6,000 ओजीपीए अथवा समतुल्य एक नियमित विद्यार्थी के रूप में। ऑनलाइन आवेदन में प्राप्त अंक प्रतिशत में दर्शाए जाएं।

टिप्पणी : शैक्षणिक अर्हता के लिए निर्धारित अंकों का प्रतिशत सामान्य (अनारक्षित) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। आरक्षित प्रवर्ग(एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) से संबंधित अभ्यर्थियों को संबद्ध प्रवर्ग हेतु भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों हेतु सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित अंकों की अपेक्षा 5% अंकों की शिथिलता की पात्रता होगी परंतु उन्हें अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी प्रवर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को "अनारक्षित" रिक्तियों हेतु आवेदन करने पर उल्लिखित शिथिलता की पात्रता नहीं होगी।

4 <u>लिखित परीक्षा और साक्षात्कार / समूह चर्चा की संरचना</u>

जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उस पर निर्भर बैंक (i) केवल साक्षात्कार (ii) लिखित परीक्षा और/अथवा समूह चर्चा और/अथवा साक्षात्कार (iii) लिखित परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार (iv) समूह चर्चा और/अथवा साक्षात्कार ले सकता है।

लिखित परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

लिखित परीक्षा – वस्तुनिष्ठ :-यदि आवश्यकता होती है तो अभ्यर्थी को इसके विवरण बुलावा पत्र के साथ सूचित किए जाएंगे।

<u>साक्षात्कार/समूह चर्चा अंक</u> :- साक्षात्कार के लिए अधिकतम 100 अंक होंगे।
सामान्य प्रवर्ग के लिए न्यूनतम अर्हताकारी अंक 60% होंगे तथा
अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूडी प्रवर्ग के लिए 55% है।

<u>चयन प्रक्रिया</u> :

रिक्तियों की संख्या के आधार पर (यदि परीक्षा ली जाती हैं) केवल उन अभ्यर्थियों को 1:3 के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक (वस्तुनिष्ठ) एवं वरीयता क्रम में पर्याप्त रुप से उच्च श्रेणी प्राप्त की है। लिखित परीक्षा में केवल उत्तीर्ण हो जाने मात्र से अभ्यर्थी को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलावा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

संबद्ध एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची उनके द्वारा लिखित परीक्षा (अर्थात 300 अंक (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) एवं 100 अंक के व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। अंतिम चयन इस वरीयता सूची के आधार पर होगा।
टिप्पणी : यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते है तो ऐसे समूह का योग्यता क्रम उनके लिखित परीक्षा के अंको के कुल योग के अनुसार और इसके अतिरिक्त उनके जन्म दिन के अनुसार होगा (अर्थात आयु में वरिष्ठ को आयु में कम से पहले रखा जाएगा।)

अवचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

1. अभ्यर्थियों को उनके स्व हितार्थ सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय उनके द्वारा कोई भी असत्य, कपटपूर्ण, कल्पित जानकारी का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए अथवा वास्तविक जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए।

2. भर्ती की किसी भी अवस्था में यदि एक अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया (पाया गया) जाता है:
   - (i) समूह चर्चा और/अथवा साक्षात्कार के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग या
   - (ii) छद्म व्यक्तिता या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा छद्म रुप धारण करवाना या
   - (iii) समूह चर्चा और/अथवा साक्षात्कार में दुर्व्यवहार करना या
   - (iv) चयन प्रक्रिया के दौरान उसकी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई भी अनियमित या अनुचित साधनों की सहायता लेना या
   - (v) किसी भी माध्यम से उसकी अभ्यर्थिता हेतु सहायता प्राप्त करना।

     ऐसा अभ्यर्थी स्वयं के प्रति आपराधिक अभियोग का उत्तरदायी होने के अतिरिक्त निम्न लिखित हेतु भी उत्तरदायी हो सकता है:
     - क. चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता से वंचित किया जाना जिसमें वह अभ्यर्थी है
     - ख. बैंक द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा या चयन से या तो स्थायी रुप से या एक विशिष्ट अवधि हेतु बहिष्कृत किया जाना।
     - ग. ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त शुल्क जब्त किया जाना।

3. बैंक द्वारा परीक्षा हेतु सम्मिलित अभ्यर्थी के उत्तर का अन्य अभ्यर्थियों के उत्तरों से समानता ज्ञात करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा। यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्तरों के आदान-प्रदान किए जाने की संदिग्धता पायी जाती है एवं प्राप्त स्कोर वास्तविक/वैध नहीं है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थिता निरस्त करने का बैंक के पास अधिकार सुरक्षित होगा।

5. लिखित परीक्षा (यदि आवश्यक है) हेतु प्रवेश पत्र

संभावित तौर पर लिखित परीक्षा 03.07.2011 (रविवार) को निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा स्थल का पूर्ण पता प्रवेश पत्र में दिया जाएगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र बैंक की वेबसाइट से 20.06.2011 के पश्चात डाउनलोड करने होंगे। अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि प्रवेश पत्र डाक/कुरियर इत्यादि द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएगे। **प्रवेश पत्र डाउनलोड न कर सकने की स्थिति में अभ्यर्थी** को 26.06.2011 के पश्चात संबंधित राज्य में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के संबंधित आंचलिक कार्यालय एवं अभ्यर्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र से प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने हेतु उसका नाम, पता एवं प्रदत्त भुगतान के विवरण का उल्लेख करते हुए लिखित आवेदन सहित निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जाना चाहिए:

6. **<u>लिखित परीक्षा केंद्र</u>**

निम्नलिखित 4 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्थान का पता प्रवेश पत्र में सूचित किया जाएगा

अनु क्रमांक	परीक्षा केंन्द्र	बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय का सम्पर्क पता	संपर्क हेतु अधिकारी
1.	मुंबई	मुंबई दक्षिण आंचलिक कार्यालय, 70-80, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट.बॉ.नंबर 38, फोर्ट, मुंबई-400 023.	श्री दीपक पी.कांगो वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) एसटीडी. कोड. 022 टेली. नं -22674857/22703543 मो. 9221510240
2.	नई दिल्ली	नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय, जीवन भारती टॉवर-1 लेवल-5 124, कॅनाट सर्कस, नई दिल्ली -110 001.	श्री अजय अरोरा वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं - 011-28844093 मो. 9650077815
3.	चेन्नै	चैन्नै आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 2 रा माला,17, इरा बालू स्ट्रीट, चैन्नै -600 001.	श्री एम. विजयन वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं - 044-66777502 66777504 मो. 9444819966
4.	कोलकाता	कोलकाता आंचलिक कार्यालय, 5,बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700 001 पश्चिम बंगाल	श्री जी.सी.बिश्वास प्रबंधक (एचआर) टेली. नं -033-2231-0292 मो- 9836965477

कृषि अधिकारी (वेतनमान I) पद कोड 17 हेतु अतिरिक्त लिखित परीक्षा केंद्र निम्नानुसार हैं:

अनु क्रमांक	परीक्षा केन्द्र	बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय का सम्पर्क पता	संपर्क हेतु अधिकारी
1.	आगरा	आगरा आंचलिक कार्यालय, पहली मंजिल, जीवन प्रकाश, एल.आई.सी.बिल्डिंग, संजय प्लेस, एम.जी.रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश-282 002.	श्री. बी.एल.बंसल वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं.0562-2527014 मो. 9456022553
2.	अहमदाबाद	अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, पो.बॉक्स. नं. 8 भद्रा, अहमदाबाद-380 001.	श्री डी.डी.पांडर, प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 079-25351461
3.	भागलपुर	भागलपुर आंचलिक कार्यालय, आदमपुर चौक, भागलपुर, बिहार-812 001. बिहार	श्री निशांत, प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0641-2406365

4.	भोपाल	भोपाल आंचलिक कार्यालय, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011.	श्री दिलीपकुमार बिश्वास मुख्य प्रबंधक, (एचआर) टेली. नं 0755-2554404 -2555189
5.	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय, 'स्टार हाउस' 1/1 डी, जयदेव विहार, नया पल्ली, भुवनेश्वर-751 015.	श्री. एन.बेहेरा प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0674-2559257
6.	चंडीगढ	चंड़ीगढ़ आंचलिक कार्यालय, एससीओ नं. 181-182, सेक्टर -17 सी चंडीगढ़-160 017	श्री रमेश कुमार मुख्य प्रबंधक. (एचआर) टेली. नं 0172-2726188
7.	कोयम्बत्तूर	कोयम्बत्तूर आंचलिक कार्यालय, स्टार हाउस, 324, ओपनकारा स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स. नं. 337, कोयम्बत्तूर -641 001. तामिलनाडू	श्री एम.षणमुगम वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0422-2392813
8.	गाजियाबाद	गाजियाबाद आंचलिक कार्यालय, बी-32, सांदिपनी, सेक्टर -62, नोएडा-201 307, उत्तर प्रदेश.	श्री श्रीचंन्द प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0120-2404137
9.	पणजी	गोवा आंचलिक कार्यालय, डेम्पो हाउस, पोस्ट बॉक्स नं. 291 कंपाल, पणजी, गोवा-403 001.	श्री सदाशिव सिंगबाल प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0832-2230035
10.	हैदराबाद	हैदराबाद आंचलिक कार्यालय, 10-1-1199/2, पी.टी.आई बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद-500 004 आंध्र प्रदेश.	श्री एम.अनंतलक्ष्मी प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 040-23317302
11.	इंदौर	इंदौर आंचलिक कार्यालय, 345-ए पीयु-4 स्कीम नं.54 होटल कंट्री इन के पास, ए.बी.रोड इंदौर-452 010	श्री एम.एस.कचवा वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0731-2445120/121
12.	जमशेदपुर	जमशेदपुर आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मेन रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड-831 001.	श्री रविंद्र भूषण के. प्रसाद वरिष्ठ प्रबंधक, (एचआर) टेली. नं. 0657-2442210 0657-2422358
13.	बेंगलुरु	कर्नाटक आंचलिक कार्यालय, सागर थिएटर के सामने, बैंक ऑफ़ इंडिया बिल्डिंग, नं 11, के.जी. रोड, बेंगलुरु 560 009.	श्री वी.वी.जोइस मुख्य प्रबंधक (एचआर) टेली. नं.. 080-22959410,

14.	केंदुझर	केंदुझर आंचलिक कार्यालय शिशू भवन, मार्केट कॉम्पलेक्स, एन.एच.नं. 6, केंदुझर-758 001.	श्री सुशांत कुमार प्रधान वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 06766-255261
15.	कोचीन	केरल आंचलिक कार्यालय, कलूर टावर, के.के. रोड़, कलूर, कोचीन-682 017.	श्री डी. जे. पठाण मुख्य प्रबंधक (एचआर), टेली. नं 0484 2349442
16.	लखनऊ	लखनऊ आंचलिक कार्यालय 'स्टार हाउस',विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226 010, उत्तरप्रदेश.	श्री आर.के.श्रीवास्तव वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली.नं.0522-2721492, 2721538 मो. 09452427210
17.	नागपुर	नागपुर आंचलिक कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एस.वी. पटेल रोड (किंग्ज वे), नागपुर, -440 001, महाराष्ट्र	श्री डी.एम. हुमरे प्रबंधक (एचआर) टेली. नं. 0712- 2532337
18.	पटना	पटना आंचलिक कार्यालय चाणक्य टावर, पहली मंजिल, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना -800 001, बिहार.	श्री बिपिन कुमार वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं. 0612-2234510
19.	पुणे	पुणे आंचलिक कार्यालय, 1162/6, शिवाजी नगर, वेधशाला के पास, गणेशखिंड रोड, पुणे -411 005.	श्री एस.एन.निपुनगे वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 020-25535766
20.	रायपुर	रायपुर आंचलिक कार्यालय, जी.डी.शीश बिल्डिंग, तात्यापारा रायपुर-492 001, छत्तीसगढ	श्री एस.एम.त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रबंधक. (एचआर) टेली. नं 0771-4212423
21.	जयपुर	राजस्थान आंचलिक कार्यालय, स्टार हाऊस, सी-63-बी, सरोजिनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 001.	श्री संतलाल आर्य प्रबंधक (एचआर) टेली. नं 0141-2363071
22.	रांची	रांची आंचलिक कार्यालय, प्रधान टॉवर, 2री मंजिल, (ओवर ब्रिज के पास) मेन रोड, रांची-834 001. (झारखंड)	श्री बी.पी.शर्मा वरिष्ठ प्रबंधक, (एचआर) टेली. नं..0651-2331150/2331270
23.	सिलिगुडी	सिलीगुडी आंचलिक कार्यालय प्रणामी मंदिर रोड, एम.बी. ऑटोमोबाईल्स के सामने, सिलिगुडी, दार्जिलिंग 734 001, पश्चिम बंगाल.	श्री.अशोक कुमार शहा, मुख्य प्रबंधक(एचआर) टेली.नं. 0353-2641098

24.	वडोदरा	वडोदरा आंचलिक कार्यालय, पहली मंजिल, बैंक ऑफ़ इंडिया, बिल्डिंग, एलौरा पार्क, सुभानपुरा, वडोदरा-390 007 (गुजरात)	श्री प्रशांत देसाई, अधिकारी, (एचआर) टेली. नं 0265-2396114
25.	वाराणसी	वाराणसी आंचलिक कार्यालय, बी-20/44, ए-7, भेलपूरा, वाराणसी -221 010 उत्तरप्रदेश.	श्री.एस.के.भट्ट, वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं. 0542-2276641
26..	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम आंचलिक कार्यालय, 28-2-48, पहली मंजिल, दासपाला होटल कॉम्प्लेक्स, जगदंबा सेंटर, सूर्याबाग, विशाखापट्टनम- 530 020 (एपी)	श्री जे.शिव कुमार वरिष्ठ प्रबंधक (एचआर) टेली. नं. 0891-2702072

नोट: (i) अभ्यर्थी को उसके आवेदन फॉर्म में लिखित परीक्षा केंद्र का उल्लेख करना होगा। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार **नहीं** किया जाएगा।

(ii) बैंक को प्राप्त आवेदन पत्रों, प्रशासनिक सुविधा आदि के आधार पर किसी भी केन्द्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केन्द्रों को शामिल करने का अधिकार है। किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केन्द्र के अलावा अन्य कोई केन्द्र आबंटित करने का बैंक का अधिकार सुरक्षित है।

(iii) लिखित परीक्षा/समूह चर्चा तारीखों को आगे/पीछे/निरस्त करने और/अथवा परीक्षा केंद्र तथा स्थान जोड़ने अथवा रद्द करने अथवा परिवर्तन/आशोधित करने और/अथवा लिखित परीक्षा रद्द करने का बैंक को अधिकार होगा।

7. **परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) :**

यदि लिखित परीक्षा ली जाती है तो भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक का अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सीमित संख्या में अभ्यर्थियों के लिए छः कार्य दिनों का निःशुल्क गैर आवासीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) नवी मुंबई, नोएडा (नई दिल्ली), केंद्रों पर प्रदान करने का विचार है। कृषि अधिकारी (वेतनमान I) पद कोड 17 हेतु अतिरिक्त परीक्षा पुर्व प्रशिक्षण केंद्र हैं-पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी ओर रांची। अभ्यर्थियों में से पीईटी के लिए चयन ऑनलाईन पंजीयन की तारीख की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त प्रवर्ग के अभ्यर्थी, जो ऐसा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आवेदन पत्र में पसंदीदा पीईटी केंद्र का उल्लेख करें।

संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) के लिए उपस्थित रहने के लिए होनेवाले यात्रा, ठहरने, खान-पान इत्यादि के सभी खर्चे उम्मीदवार को ही वहन करने होंगे। उपर्युक्त सूचित किए गए पीईटी के लिए केंद्रों को बढ़ाने या घटाने का विवेकाधिकार बैंक का होगा।

8. **आवेदन शुल्क (जो वापस नहीं किया जाएगा) :**

(क) अनु.जाति/अनु. जनजाति/शा.विक./ भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी : **कुछ नहीं**

(ख) अन्य सभी के लिए - आवेदन शुल्क : **रु. 400/-**

नोट : क. एक बार आवेदन कर दिया जाता है तो उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान कर दिए गए शुल्क को किसी भी कारण से वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

9. सामान्य अनुदेश

(क) किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में दी गई पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूरा करता/करती है। अभ्यर्थी की पात्रता, उसकी पात्रता की छानबीन किस स्तर पर की जानी है, परीक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, साक्षात्कार, समूह चर्चा चयन और भर्ती से संबंधित किसी भी विषय के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस बारे में बैंक द्वारा किसी भी व्यक्तिगत पूछताछ या पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ख) यदि किसी भी मामले में भर्ती के किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता के मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है और/या उसने कोई मिथ्या/गलत सूचना/प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। यदि ये कमियाँ नियुक्ति के बाद भी पाई जाती हैं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(ग) आवेदन का केवल ऑनलाइन पंजीयन स्वीकार किया जाएगा।

कृपया नोट करें कि मुद्रित आवेदन पत्र हमें केवल साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाए उससे पहले नहीं।

(घ) ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी यथा 31.03.2011 को जो "क्रीमी लेयर" में आते हैं वे ओबीसी आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं हैं। उन्हें आवेदन में अपनी श्रेणी "सामान्य" दर्शानी है।

(ङ) **साक्षात्कार के समय** आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदित पदों के लिए अन्य पिछडी जाति (ओबीसी) प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थी का प्रगत सामाजिक अनुभाग का न होने का उल्लेख हो अर्थात क्रीमी लेयर को निरपवाद रूप से शामिल करना चाहिए। वह वित्तीय वर्ष 2010-11 की आय के आधार पर 01.04.2011 को या उसके पश्चात जारी किया गया हो।

(च) इस विज्ञापन में दिए गए योग्यता मानदण्ड और अन्य शर्तों में रद्दोबदल, संशोधन या परिवर्तन का बैंक का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें उत्तीर्ण होने पद्धति और चयन की प्रक्रिया का भी समावेश है। चुनिंदा पद या विज्ञापन में दिए गए सभी पदों के लिए केवल साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी (बिना लिखित परीक्षा/समूह चर्चा हो जाने) के चयन का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है।

(छ) केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने योग्यता मानदण्ड को पूरा किया है एवं जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया गया है, उन्हें या तो ई मेल (ऑन लाईन) या स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से उनके पते पर या ई मेल पते पर जैसा भी मामला हो, उनके आवेदन पत्र में दिया गया हो, सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए जिन अभ्यर्थियों का नाम अंतिम रुप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है, बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in. पर उपलब्ध होगा आवेदनकर्ताओं से अनुरोध है कि समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर जाकर खोज-खबर रखें। इसी प्रकार नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के अंतिम चयन परिणाम उपलब्ध होंगे।

(ज)लिखित परीक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रवेश दस्तावेज के संदर्भ में अभ्यर्थी की आयु, अर्हता, प्रवर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) इत्यादि का सत्यापन किए बिना शुद्ध रूप से अनंतिम होगा।

(झ)प्रवेश पत्र/सूचना की प्राप्ति में विलम्ब या डाक में गायब हो जाने का दायित्व बैंक का नहीं होगा।

(ञ)अभ्यर्थी को आवेदन में ब्योरे सही रूप से भरने चाहिए। विशेषत: आयु/अर्हता/जाति/ इत्यादि जिसका चयन/चयन न होने पर सीधा असर पड़ेगा। उपर्युक्त त्रुटि के कारण खारिज होने की/चयन न होने की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं होगी।

(ट) **साक्षात्कार/समूह चर्चा** के समय प्रस्तुत किए जाने के लिए हाल ही का पासपोर्ट आकार का एक फोटो आवेदन फॉर्म पर चिपकाएं तथा उस पर अभ्यर्थी हस्ताक्षर करें। लिखित परीक्षा (यदि ली जाती है)के लिए उसी फोटो की प्रतियों का उपयोग किया जाए।लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार/समूह चर्चा के समय इस फोटो को प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा।

(ठ) लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार/समूह चर्चा के लिए अभ्यर्थी को अपने खुद के खर्च पर उपस्थित रहना होगा। यद्यपि, बाहरी स्थान के एससी/एसटी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार समूह चर्चा में सम्मिलित होने के लिए लघुतम मार्ग से यात्रा करने के संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आने-जाने का रेल की द्वितीय (स्लिपर) श्रेणी/सामान्य बस के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ड) जो अभ्यर्थी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(जिनमें बैंक भी शामिल हैं) में कार्य कर रहे हैं उन्हें आवेदन करने से पहले अपने नियोक्ता से अनुमति लेनी चाहिए और साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके प्रस्तुत न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्तानुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय मांगे जाएंगे और बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में उपस्थित रहने की अनुमति नही दी जाएंगी और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(ढ) केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हों।

(ण) इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद मुंबई स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन होगा।

(त) अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा के पाठ की व्याख्या के कारण उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में अंग्रेजी पाठ को अभिभावी माना जाएगा।

(थ) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में केलक्यूलेटर, किसी भी प्रकार के सेलफोन/टेलीफोन, पेजर या ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(ध) लिखित परीक्षा के लिए आबंटित केन्द्रों पर अभ्यर्थी अपने व्यय और जोखिम पर उपस्थित होंगे, बैंक किसी भी प्रकार की चोट/हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(न) बैंक अपने विवेकाधिकार से जहाँ आवश्यक होगा किसी केन्द्र/स्थान में पुन: परीक्षा आयोजित कर सकता है और/या लिखित परीक्षा रद्द कर सकता है।

(प) चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकतानुसार उनके चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ एवं चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अध्यधीन है। ऐसी नियुक्ति बैंक के सेवा एवं आचरण नियमों के अध्यधीन भी होगी। चुने गए अभ्यर्थी को यदि नियुक्त किया जाता है तो वेतनमान II एवं उससे ऊपर के लिए उसे बैंक में सेवाग्रहण करने की तारीख से एक (1) वर्ष एवं वेतनमान I के लिए दो (2) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

(फ) चयनित अधिकारियों को अपने डेस्क कार्यों के अतिरिक्त बैंक और साथ ही साथ उसके कारोबारी भागीदारों के वित्तीय व अन्य उत्पादों का विपणन करना होगा।

(ब)अभ्यर्थी को अपनी पात्रता के **समर्थन में <u>साक्षात्कार के समय</u> अपने आवेदन-पत्र के प्रिंट आउट के साथ जाति और अन्य संबंधित प्रमाणपत्र जैसे कि शैक्षणिक अर्हता, आयु, विकलांगता आदि**

की मूल प्रति, विधिवत सत्यापित छाया प्रतियों के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिनके प्रस्तुत न करने पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

(भ) एक अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन किए जाने के प्रसंग में अंतिम रुप से प्रस्तुत आवेदन को वास्तविक/निर्णायक माना जाएगा।

10. अ.जा/अजजा/अपिव का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

<u>अजा/अजजा/अपिव के लिए</u>

जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वृत्तिभोगी मजिस्ट्रेट/उप संभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/मुख्य प्रांतीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रांतीय मजिस्ट्रेट/प्रांतीय मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम श्रेणी का न हो/उस क्षेत्र का उप संभाग अधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसके परिवारजन सामान्यत: रहते हैं।

<u>अन्य शर्तें/निबंधन</u>

(i) बैंक में नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी को वेतनमान I, वेतनमान II, वेतनमान III और उससे ऊपर के लिए क्रमश: रु. 20,000/-, रु. 40,000/- और रु. 60,000/- प्रतिभूति के रूप में जमा करना आवश्यक है। यदि 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पहले कोई अधिकारी बैंक छोड़ देता है, तो प्रतिभूति जमाराशि जब्त कर ली जाएगी। सीधे भर्ती वाले अधिकारियों के लिए यह विकल्प होगा कि वे प्रतिभूति जमा की संपूर्ण राशि जमा कर दें या विकल्प के रूप में कार्यग्रहण के समय प्रारंभ में रु. 10,000/- जमा करें और रु. 2000/- प्रतिमाह जमा करें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में कार्यग्रहण के समय जमा की जाने वाली प्रारंभिक राशि रु.5000/- होगी और रु.2000/- प्रतिमाह समान मासिक किस्तों में जमा करने होंगे। प्रतिभूति जमाराशि में वृद्धि करने अथवा किस्तों को पुन:निर्धारित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

(ii) चुने गए जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही जेएआईआईबी/सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं, उन्हें बैंक में कार्यग्रहण करने की तारीख से **जेएआईआईबी** परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक अग्रिम वेतनवृद्धि **या सीएआईआईबी** परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए **दो** अग्रिम वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी, जैसा भी मामला हो।

(iii) पात्रता मानदंड पूरा करने के अध्यधीन बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऐसे अभ्यर्थियों का यदि चयन होता है तो वे अपने वर्तमान पद से त्याग-पत्र देंगे और नये सिरे से बैंक की सेवा ग्रहण करेंगे।

11. आवेदन कैसे करें:

(i) अभ्यर्थी का वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी वेबसाइट <u>www.bankofindia.co.in</u> के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करें।

(iii) प्रथम चरण में अभ्यर्थी को हमारी वेबसाइट की सूचना के पृष्ठ 17 से चालान का प्रिंट आउट लेना चाहिए। (यह एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है।)

(iv) उपर्युक्त कथित चालान से अभ्यर्थी 21.05.2011 को या उससे पहले बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में फीस का भुगतान करें।

(v) एक बार फीस का भुगतान हो जाने पर संबंधित शाखा उन्हें ट्रांजेक्सन नंबर देगी।

(vi) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर दिए गए विशिष्टताओं के अनुसार अभ्यर्थी की फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन (डिजीटल) इमेज होनी आवश्यक है।

(vii) अभ्यर्थी प्रथम उसका हस्ताक्षर तथा फोटोग्राम स्कैन करे। वह यह भी सुनिश्चित कर ले कि फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर दोनों ही आवश्यक विशिष्टताओं के साथ हैं। यदि फाइल का आकार विशिष्ट सीमा से अधिक है तो स्कैन की सेटिंग व्यवस्थित करें।

(viii) अभ्यर्थी अब बैंक की वेबसाइट पर पुन: जाकर ऑन लाइन आवेदन करने के लिए तैयार है और **समुचित ऑनलाइन आवेदन खोलने हेतु** सबलिंक पर जाएगा।

(ix) अभ्यर्थी को हमारी वेबसाइट www.bankofindia.co.in में "रिक्रूटमेंट/कैरिअर" शीर्षक में पुन: जाना चाहिए और हमारे वेबसाइट के पृष्ठ संख्या 17 पर क्लिक करने के बाद उपलब्ध आवेदन पत्र भरना चाहिए।

(x) आवेदन में उचित स्थान पर ठीक ढंग से ट्रांजेक्सन नंबर भरा जाना चाहिए (यह एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है)

(xi) आवेदन को जाँच कर लिया जाना चाहिए और सत्यापन के बाद **सबमिट** पर क्लिक करके भेज दिया जाना चाहिए।

(xii) आवेदन मुद्रित कर और उस पर फोटो चिपका कर रखें, और उसे साक्षात्कार के समय साक्षात्कार के स्थल पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखें।

(xiii) भविष्य में किसी भी संदर्भ और उपयोग के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट/याद रखना चाहिए।

(xiv) कृपया नोट करें कि उपर्युक्त प्रक्रिया ही आवेदन की एकमात्र प्रक्रिया है। आवेदन का भौतिक तरीका या अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि इस प्रकार कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया तो उसे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(xv) प्रस्तुत किए गए ऑन लाइन आवेदन को संशोधन करने का प्रावधान है। यदि हो तो, ऑन लाइन आवेदन में सही जानकारी देने के लिए इस सुविधा का उपयोग करने हेतु अनुरोध किया जाता है। यह संशोधन की सुविधा 23/05/2011 तक उपलब्ध होगी। इस तारीख के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होगी। ऑन लाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी अत्यधिक सावधानी बरते।

उपर्युक्त कथित प्रक्रिया के अनुसार हम कार्यवाही का सार यहाँ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

i. चालान मुद्रित करें।
ii. बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में फीस का भुगतान करें और ट्रांजेक्सन नंबर प्राप्त करें।
iii. विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपना फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्केन करें
iv. आवेदन पत्र को ऑन लाईन भरे और सत्यापन के बाद प्रस्तुत करें।

1. आवेदन प्रिंट करें और फोटोग्राफ चिपकायें तथा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखें।

ए. प्राप्त किए गए चालान की प्रतिलिपि। (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को छोड़कर ।)

बी. स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रतिलिपि या आयु को दर्शाने वाला बैंक को स्वीकार्य अन्य कोई दस्तावेज

सी. शैक्षणिक अर्हता के समर्थन में अंक तालिका/प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि

डी. यथा लागू कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि

ई. जाति/पी डब्ल्यू डी से संबंधित यथा लागू अन्य कोई प्रमाण-पत्र

एफ. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने योग्यता मानदंड को प्राप्त किया है तथा सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा इस विज्ञापन, साथ ही साथ आवदेन फार्म में निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन किया है। अतएव अभ्यर्थी से अनुरोध है कि इस विज्ञापन को वह सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों के अनुरुप आवेदन फार्म को पूर्णतया भर कर प्रस्तुत करें।

- यहां तक कि यदि पंजीकरण की अंतिम तिथि तकनीकी कारणों से परिवर्तित की जाती है तो आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु वैध तिथि परिवर्तित नहीं होगी। शुल्क का भुगतान डीडी/चेक/मनी ऑर्डर/पोस्टल आर्डर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के बाद, बैंक को आवेदन का प्रिंट आउट भेजने की आवश्यकता नहीं। साक्षात्कार के समय प्रस्तुतीकरण हेतु उपरोक्त आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों को तैयार रखा जाना चाहिए।

ऑन लाइन आवेदन और चालान के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाअट **www.bankofindia.co.in** पर जाएं।

यह अंतिम रुप से न माना जाए। कृपया आवश्यक रुप से नोट करें कि जो अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं लेकिन वे दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए जाते हैं तो उन्हें साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने/बैंक ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस असुविधा हेतु खर्च व परिणामों की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

प्रिंट चालान

एप्लॉय ऑनलाइन

*press Ctrl + Click to apply on-line / Challan

(आर. के. गोयल)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25.04.2011

जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनसे अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट- www.bankofindia.co.in पर बैंकिंग रिक्रूटमेंट एण्ड कैरियर" खण्ड का अवलोकन करें।

<u>अजा/जजा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

एम.एच.ए. ओएम सं. 42/21/49-एन.जी.एस. दिनांक 28.01.1952 में यथा निर्धारित कार्मिक एवं ए.आर. विभाग पत्र सं. 36012/6/76- स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 29.10.1977 में यथा संशोधित अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप

<u>जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---------- के पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती/कुमारी* ----------ग्राम/नगर ---------- ---------- जिला/खंड* ----------राज्य/संघ शासित राज्य ----------की जाति/जनजाति* ---------- के/की हैं, जिसे एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में निम्न के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई हैः

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950. *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ शासित राज्य) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित राज्य) आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (आशोधन आदेश)1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम,1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]
*संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
*संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (सेशोधन) अधिनियम, 1976; द्वारा यथा संशोधित
*संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
*संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
*संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;
*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
*संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
*संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
*संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 1991;

2. यह प्रमाण पत्र ---------- राज्य/संघ शासित राज्य के ---------- जिले/खंड* के------ ग्राम/नगर के श्री/श्रीमती/कुमारी* ----------के पिता/माता* श्री/श्रीमती* ----------को जारी किए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है। जिस जाति/जनजाति से वे संबंधित हैं उसे ----------राज्य/संघ शासित राज्य के ---------- दिनांकित ---------- के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्य किया गया है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी * _____ एवं/या * उसका परिवार सामान्य रूप से _____राज्य/संघ शासित राज्य के _____ _____ग्राम/नगर में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

स्थान: **राज्य/संघ शासित राज्य:**

दिनांक:

टिप्पणी : 'सामान्य रूप' से निवास करने हेतु प्रयुक्त शब्द का यहाँ वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

***कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दे**

<u>ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ओबीसी प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

<u>भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन</u>

(ओ.एम.सं. 36033/28/94-स्था.(रेज.) दिनांक 02/07/1977 में यथा कार्मिक एवं प्रशि वि. भारत सरकार)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*_____

पुत्र/पुत्री*श्री_____ ग्राम/नगर* _____

जिला/खंड* _____राज्य/संघशासित राज्य *_____ की जाति_____

के/की हैं, जिसे एक पिछड़ा वर्ग के रूप में निम्न के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है:

*(i) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं. 1201/1/68/93 - बीसीसी , दिनांक 10 सितम्बर, 1993 कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, असाधारण भाग-1, खण्ड 1 सं.186 दिनांक 13 सितम्बर,1993. भारत के राजपत्र में प्रकाशित, संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी , दिनांक 19 अक्टूबर,1994, कल्याण मंत्रालय. भारत सरकार, असाधारण, भाग-1, खण्ड 1, सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर,1994.

भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प सं.12011/7/95-बीसीसी , दिनांक 24 मई, 1995, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, असाधारण, भाग-1 खण्ड 1, सं. दिनांक 25 मई, 1995.

*(iv) भारत के राजपत्र में प्रकाशित, संकल्प सं. 1201/1/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. असाधारण, भाग-1, खण्ड 1 सं. 210 दिनांक 11 दिसम्बर, 1996.

श्री/श्रीमती/कुमारी * _____ एवं/या * उसका परिवार सामान्य रूप से _____राज्य/संघ शासित राज्य के _____ _____ग्राम/नगर में निवास करते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____ का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी), दिनांक 08/09/1993, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अनुसूची कॉलम 3 में शामिल (क्रीमी लेयर) व्यक्तियों/वर्गों से संबंधित नहीं हैं।

कार्यालय की मोहर

स्थान -

दिनांक -

* जो लागू न हो तो उसे काट दें

हस्ताक्षर -

पदनाम-

टिप्पणी: (क) "सामान्य रूप" से निवास करने हेतु प्रयुक्त शब्द का यहाँ वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

(ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं-

जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश/जिलाधीश/उपायुक्त/
अतिरिक्त उपायुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/
उप संभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/
अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट पद से नीचे का न हो)
मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/
प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट;
राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो;और
जहाँ पर सामान्यतया अभ्यर्थी और/या उनके परिवार रहते हैं वहां के संभागीय अधिकारी।